



In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/282/2022

STATE OF U.P. Vs. Ankit @ Vikky Balmiki

C H A R G E

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्त अंकित उर्फ विक्री वाल्मिकी पुत्र स्व. श्रीराम, निवासी घुसयाना, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:-

- 1- यह कि घटना की दिनांक 30.05.2021 को समय 9 स्थान पुराने पोस्टमार्टम हाउस के पास आप अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र विकास उर्फ मन्नू के सिर में धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर उपहति कारित की गयी। यदि आपके उक्त कृत्य से मृत्यु होती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप अभियुक्त ने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
- 2- यह कि घटना की दिनांक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र को मारपीट कर साधारण प्रकृति की उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
- 3- यह कि घटना की दिनांक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा के पुत्र को बुरी-बुरी गालियां देकर साशय अपमानित किया गया, जिससे लोक शान्ति भंग होने की संभावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 भा.द.सं. के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
- 4- यह कि घटना की दिनांक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिवास कारित किया गया। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनांक-02.12.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-02.12.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/282/2022

STATE OF U.P. Vs. Ankit @ Vikky Balmiki

02.12.2022

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्तअंकित उर्फ विकी वाल्मिकी जेरे जमानत समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए उसे उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा मुकदमा के पुत्र के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया, उसकी मारपीट की गयी तथा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। इसलिए अभियुक्त पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 308, 323, 504, 506 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 308, 323, 504, 506 भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 10.01.2023 को पेश हो।

दिनांक-02.12.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।